दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता	:	सुश्री रजनी पुत्री श्री वीरपाल सिंह
आर.टी.आई कम्र संख्या	:	10962-एच दिनांक 10/08/2023
अपील कम्र संख्या	:	56 दिनांक 19/09/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-1, तिहाड़ के द्वारा प्रदान किये गये उत्तर दिनांक 22/08/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-1, तिहाड द्वारा प्रश्न संख्या- 1, 6, 7 व 9 में आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 8 (1) (जे) के अर्न्तगत सूचना को प्रदान नहीं किया गया है जो कि सही प्रतीत हो रहा है। अत: प्रदान किए गए उत्तर में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा प्रश्न संख्या- 2 से 5, 8 व 10 की सूचना के लिए आर.टी.आई. आवेदन को जन सूचना अधिकारी/उपायुक्त (दिल्ली पुलिस), नई दिल्ली पुलिस हेडक्वाटर, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को स्थानांनतरित किया गया था, अत: अपीलकर्ता को संबधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील के लिए आवेदन करना चाहिए।

तद्नुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

उप महानिरिक्षक कारागार/ O/c
प्रथम अपीलीय अधिकारी

सुश्री रजनी पुत्री श्री वीरपाल सिंह

F10(3476489)/**10962-H**/CJ/Legal/2023/61091/6624-25 Dated: 03/10/2023

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक- कारागार संख्या-1, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.